न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

गुरलाभ सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति हरीजन निवासी वार्ड नं. 4, चक 16 बी.एल.डी.(सी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956)

प्रकरण संख्या - 79/2019 **निर्णय दिनांक - 25/11/2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 16 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 243/433 मु.नं. 31 किला नं. 1 ता 20 में 5.060 है. कमाण्ड भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि अपने दादा चन्द सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह से विरास्तन में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के विरास्तन इन्तकाल के समय प्रार्थी की माता के द्वारा प्रार्थी का घरेलु नाम लाभ सिंह दर्ज करवा दिया जिसके कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गुरलाभ सिंह के स्थान पर लाभ सिंह दर्ज हो गया है। जबकि मुझ प्रार्थी का सही नाम गुरलाभ सिंह पुत्र जगसीर सिंह है। उक्त रकबा चक 16 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 243/433 मु.नं. 31 किला नं. 1 ता 20 में 5.060 है. कमाण्ड भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भूल एवं त्रुटि, सहवन से प्रार्थी का नाम गुरलाभ सिंह के स्थान पर लाभ सिंह अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम गुरलाभ सिंह है। व प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गुरलाभ सिंह दर्ज है। उक्त रकबा चक 16 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 243/433 मु.नं. 31 किला नं. 1 ता 20 में 5.060 है. कमाण्ड भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम गुरलाभ सिंह के स्थान पर लाभ सिंह अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी का सही नाम गुरलाभ सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह है। जबकि जमाबन्दी में सहवन से लाभ सिंह अंकित हो गया है। जिसको सही किया जाना उचित है। इसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने राजस्व तहसीलदार श्री विजयनगर से मिल कर जमाबन्दी, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही करने हेतु निवेदन किया लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

लगातार........2

Priyanka
(प्रियंका तलानिया (R.A.S.))
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

करने हेतु कहा गया। इसलिए प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के पेश कर निवेदन है कि उक्त रकबा चक 16 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 243/433 मु.नं. 31 किला नं. 1 ता 20 में 5.060 है. कमाण्ड भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लाभ सिंह के स्थान पर गुरलाभ सिंह दर्ज करने के आदेश सम्बधित तहसीलदार को भिजवाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार राज की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 16 बी.एल.डी.(सी) प.नं. 243/433 में प्रार्थी का नाम लाभ सिंह पुत्र जगसीर सिंह सह गैरखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सरपंच रिपोर्ट दिनांक 23/08/2019 के मुताबिक लाभ सिंह व गुरलाभ सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि पहचान पत्रों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम लाभ सिंह को गुरलाभ सिंह करवाना चाहता है। जो किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों का मनन किया गया तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज में गुरलाभ सिंह पुत्र जगसीर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से लाभ सिंह पुत्र जगसीर सिंह अंकित हो गया है। जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व(लेण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी चक 16 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 243/433 मु.नं. 31 किला नं. 1 ता 20 में 5.060 है. कमाण्ड भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लाभ सिंह के स्थान पर गुरलाभ सिंह दर्ज करने के दूरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/11/19

(प्रियंका तलानिया)

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner